[2021] 8 एस.सी.आर. 469

ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

बनाम

काहलों@जसमेल सिंह काहलों (मृतक)

अपने कानूनी प्रतिनिधि नरिंदर के माध्यम से

काहलों गोसाकन और अन्य

(2021 की सिविल अपील संख्या 4800)

16 अगस्त 2021

[नवीन सिन्हा और आर. सुभाष रेड्डी, जे.जे.]

मोटर वाहन अधिनियम, 1988: एस. 166 (ए) - मुआवजा - मोटर दुर्घटना में चोटें - दावेदार को मोटर दुर्घटना में 100 प्रतिशत शारीरिक विकलांगता का सामना करना पड़ा - मुआवजे के लिए दावा - रुपये का पुरस्कार। 1,00,000/- 9% ब्याज के साथ - उच्च न्यायालय के समक्ष अपील - अपील के लंबित रहने के दौरान, दावेदार की मृत्यु, दुर्घटना में लगी चोटों के कारण नहीं - अपील में दावेदार की बेटी के नाम का प्रतिस्थापन - उच्च न्यायालय ने मुआवजा बढ़ाया 37,81,234/- रुपये तक - अपील पर, आयोजित: अधिनियम एक लाभकारी और कल्याणकारी कानून है - यदि कानूनी उत्तराधिकारी मृत्यु के मामले में दावा कर सकते हैं, तो कानूनी प्रतिनिधि संपत्ति के समान संपत्ति के नुकसान के लिए भी दावा कर सकते हैं यदि वह बाद में धारा 166 के खंड 1(सी) के तहत दुर्घटना या चोटों के अलावा अन्य कारणों से मृत हो जाता है तो घायल हो जाता है - ऐसा दावा दावेदार की व्यक्तिगत चोटों से पूरी तरह से अलग होगा और जो मृत्यु का कारण नहीं हो सकता है - व्यक्तिगत चोटों के ऐसे दावे निस्संदेह घायल की मृत्यु के साथ समाप्त हो जाएंगे - बीमाकर्ता के पास मोटर दुर्घटना दावा मामलों में मुआवजा देने का वैधानिक दायित्व है - इस दायित्व से इस बचाव के पीछे नहीं बचा जा सकता है कि यह केवल व्यक्तिगत चोटों के लिए उपलब्ध था और उसकी मृत्यु पर समाप्त हो जाता है चोटों के कारण मृतक की संपत्ति को हुए नुकसान के बावजूद - कुल मुआवजा 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ 28,42,175/- रुपये निर्धारित किया गया। दावा याचिका दायर करने की तारीख से लेकर उसके लागू होने तक।

न्यायालय ने अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए

माना: 1.1 अधिनियम एक लाभकारी एवं कल्याणकारी कानून है। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 166(1)(ए) किसी दुर्घटना से उत्पन्न होने वाले मुआवजे के लिए उस व्यक्ति द्वारा वैधानिक दावे का प्रावधान करती है जिसे चोट लगी है। खंड (बी) के तहत, संपत्ति के मालिक को मुआवजा देय है। मृत्यु के मामले में, मृतक के कानूनी प्रतिनिधि दावे को आगे बढ़ा सकते हैं। अधिनियम के तहत संपत्ति का अर्थ पारंपरिक परिभाषा से कहीं अधिक व्यापक होगा। यदि मृत्यु के मामले में कानूनी उत्तराधिकारी दावा कर सकते हैं, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि कानूनी प्रतिनिधि घायल की संपत्ति के नुकसान के लिए दावा नहीं कर सकते, यदि वह बाद में दुर्घटना या खंड के तहत चोटों के अलावा अन्य कारणों से मर जाता है। धारा 166 का 1(सी)। ऐसा दावा दावेदार की व्यक्तिगत चोटों से पूरी तरह अलग होगा और जो मृत्यु का कारण नहीं हो सकता है। व्यक्तिगत चोटों के ऐसे दावे निस्संदेह घायल की मृत्यु के साथ समाप्त हो जाएंगे। संपत्ति के नुकसान का क्या मतलब होगा और इसमें कौन सी चीजें शामिल होंगी, ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर ध्यान देना होगा। मोटर दुर्घटना दावा मामलों में मुआवजा देना अपीलकर्ता का वैधानिक दायित्व है। बचाव के पीछे इस दायित्व से बचा नहीं जा सकता कि यह केवल व्यक्तिगत चोटों के लिए उपलब्ध था और चोटों के कारण मृतक की संपत्ति को हुए नुकसान के बावजूद उसकी मृत्यु पर छूट मिलती थी।[पैरा 9]

1.2 दुर्घटना में मृतक को लगी चोटों के कारण छह महीने तक लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। विकलांगता की सीमा का आकलन 16.06.2000 को 100% के रूप में किया गया था। फिजियोथेरेपी के कारण विकलांगता की सीमा का 08.08.2002 को 75% के रूप में पुनर्मूल्यांकन किया गया। बीच में, घायल ने 30.09.2001 को 53 साल की उम्र में अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया क्योंकि उसे एक परिचारक के बिना चलना मुश्किल और असुविधाजनक लगा जो पूरी तरह से गतिहीनता से अलग था। घायल के पास कार्मिक प्रबंधन में डिप्लोमा के साथ-साथ श्रम कानूनों और औद्योगिक संबंधों में व्यावसायिक योग्यता थी। हो सकता है कि उन्हें श्रम न्यायालय के समक्ष प्रैक्टिस करने में भी कुछ बाधा का सामना करना पड़ा हो, लेकिन उन्हें 100% शारीरिक विकलांगता का सामना नहीं करना पड़ा क्योंकि एक परिचारक की सहायता से व्हील चेयर पर चलने के साथ-साथ सलाह देने और अन्य कार्य करने की उनकी क्षमता के कारण ऐसा नहीं हो सकता था। अभी भी कम कमाई की क्षमता की सुविधा है। यह नहीं माना जा सकता कि घायल के पास अपनी संपत्ति ख़त्म करने के अलावा आजीविका का कोई स्रोत नहीं बचा था। मूल्यांकन करते समय, जिसे अधिनियम के तहत 'न्यायसंगत मुआवजा' के रूप में वर्णित किया गया है, संभावनाओं सहित सभी कारकों को ध्यान में रखना होगा।[पैरा 17]

1.3 ट्रिब्यूनल ने तकनीकी आधार पर वेतन, चिकित्सा व्यय और विकलांगता के प्रतिशत के उनके दावे को खारिज कर दिया और एक गुप्त आदेश द्वारा केवल एक लाख रुपये का मामूली मुआवजा दिया। इसलिए, जबकि अपील के लंबित रहने के दौरान, दुर्घटना या चोटों से असंबंधित घायल की मृत्यु के बाद व्यक्तिगत चोटों का दावा नहीं बचा हो सकता है, लेकिन संपत्ति के नुकसान के दावे कानूनी तौर पर उपलब्ध थे और उन पर अमल किया जा सकता था। अपील में मृतक के प्रतिनिधि।[पैरा 18]

1.4 संपत्ति के नुकसान में दवाओं, उपचार, आहार, परिचारक, डॉक्टर की फीस आदि पर व्यय शामिल होगा, जिसमें आय और भविष्य की संभावनाएं भी शामिल होंगी, जिससे संपत्ति में उचित वृद्धि हो सकती थी, लेकिन अचानक व्यय के लिए जिसे पूरा करना पड़ा और संपत्ति समाप्त हो गई। घायलों में से, बाद में मृत। हालाँकि, सिर दर्द और व्यक्तिगत चोटें होने के कारण मिलने वाले मुआवजे को अस्थिर माना जाता है और इसे अस्वीकार कर दिया जाता है। छह महीने तक अस्पताल में भर्ती रहने का स्वीकृत तथ्य होने के बावजूद उच्च न्यायालय ने चिकित्सा व्यय के लिए कुछ भी नहीं दिया है। इसलिए, चिकित्सा व्यय के लिए रु. 1,00,000/- की राशि प्रदान की जाती है। इसलिए, पुनर्मूल्यांकन किया गया कुल मुआवजा रु. 28,42,175/- होगा। इस प्रकार, अपीलकर्ता को प्रतिवादी संख्या 1 को चार सप्ताह की अवधि के भीतर 28,42,175/- रुपये 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है। दावा याचिका दायर करने की तारीख से लेकर उसके लागू होने तक।[पैरा 20-22]

कनम्मा बनाम उप महाप्रबंधक, **आईएलआर 1990 कर्नाटक 4300**; उत्तम कुमार बनाम माधव और अन्य, **आईएलआर 2002 कर्नाटक 1864**; *उम्मेदचंद गोलचा बनाम दयाराम और अन्य,* **2002(1) एमपीएलजे 249**; *प्रभावती घोष और अन्य बनाम गौतम दास और अन्य,* **2009(4) जीएलआर 64**; *राज कुमार बनाम अजय कुमार और अन्य,* **(2011) 1 एससीसी 343: [2010] 13 एससीआर 179**; *सुरपाल सिंह लधुभा गोहिल बनाम रालियतबाहेन मोहनभाई सावलिया और अन्य,* **2009(2) जीएलएच 217**; *मुन्नी देवी और अन्य बनाम न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड,* **103 (2003) डीएलटी 464;** *वेंकटेशन बनाम कस्तूरी,* **2014 एसीजे 1621**; *मैमुना बेगम और अन्य बनाम ताजू और अन्य,* **1989 एमएचएलजे 352**; *परमिंदर सिंह बनाम न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य,* **(2019) 7 एससीसी 217: [2019] 8 एससीआर 986**; *काजल बनाम जगदीश चंद एवं अन्य,* **(2020) 4 एससीसी 413**; *मधुबेन महेशभाई पटेल बनाम जोसेफ फ्रांसिस मेवान और अन्य,* **2015 (2) जीएलएच 499**; *जोती राम बनाम चमनलाल,* **एआईआर 1985 पी एंड एच 2**; *थैलम्मई बनाम ए.वी. मलय्या पिल्लई,* **1991 एसीजे 185 (पागल)** *- संदर्भित।*

केस कानून संदर्भ

ILR 1990 कर्नाटक 4300 को	**पैरा 4**	**में संदर्भित किया गया है**
आईएलआर 2002 कर्नाटक 1864	**पैरा 4**	**में संदर्भित है**
2009(4) जीएलआर 64	**पैरा 4**	**में संदर्भित**
[2010] 13 एससीआर 179	**पैरा 5**	**को संदर्भित करता है**
103 (2003) डीएलटी 464	**पैरा 5**	**में संदर्भित है**
[2019] 8 एससीआर 986	**पैरा 5**	**को संदर्भित करता है**
(2020) 4 एससीसी 413	**पैरा 5**	**में संदर्भित**
2002 (1) एमपीएलजे 249	**पैरा 10**	**में संदर्भित**
1989 एमएचएलजे 352	**पैरा 11**	**को संदर्भित करता है**
2014 एसीजे 1621 में	**पैरा 12**	**का उल्लेख किया गया है**
2009(2) जीएलएच 217	**पैरा 13**	**को संदर्भित करता है**
2015 (2) जीएलएच 499	**पैरा 14**	**को संदर्भित किया गया**
एआईआर 1985 पी एंड एच 2	**पैरा 14**	**को संदर्भित करता है**
1991 एसीजे 185 (मैड)	**पैरा 15**	**को संदर्भित करता है**

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2021 की सिविल अपील संख्या 4800।

2007 के एफएओ संख्या 1386 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 27.08.2019 से।

एच. चंद्र शेखर, अपीलकर्ता के वकील।

निखिल गोयल, प्रतिवादियों के वकील।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

नवीन सिन्हा, जे.

1. छुट्टी स्वीकृत.

2. एक मोटर दुर्घटना में लगी चोटों से उत्पन्न एक दावा जो 20 साल से अधिक समय के बाद इस न्यायालय के सामने आया है, जो हमें बेहद परेशान करने वाला लगता है। मूल दावेदार और उसकी पत्नी, दोनों मुकदमे का फल देखने की कठिन परीक्षा से बच नहीं सके, जिसका मुकदमा अब उनकी बेटी द्वारा किया जा रहा है।

3. मामले के तथ्य संक्षेप में यह हैं कि मूल दावेदार दिनांक 02.05.1999 को एक मोटर दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया था। उन्होंने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 166(1)(ए) के तहत मुआवजे के लिए दावा दायर किया। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने 02.11.2006 को उन्हें केवल 9% ब्याज के साथ 1,00,000/- रुपये की राशि प्रदान की। असंतुष्ट होकर, मूल दावेदार ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की। दुर्भाग्य से, अपील के लंबित रहने के दौरान 06.11.2015 को उनकी मृत्यु हो गई, दुर्घटना में लगी चोटों को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। अपील में दावेदार की बेटी को प्रतिस्थापित किया गया, जो दुर्घटना के समय 21 वर्ष की अविवाहित लड़की थी। हाई कोर्ट ने मुआवज़ा काफी हद तक बढ़ा दिया.

4. अपीलकर्ता की ओर से विद्वान वकील श्री एच. चन्द्र शेखर का कहना है कि कार्रवाई का कारण घायल का व्यक्तिगत होना उसकी मृत्यु पर प्रभाव डालता है, जो दुर्घटना के कारण नहीं हुई थी। कानूनी उत्तराधिकारी केवल ऐसे मुआवजे का हकदार है जो मृतक की संपत्ति का हिस्सा बनता है। वेतन की हानि, भविष्य की संभावनाएं, दर्द और पीड़ा के साथ-साथ परिचारक शुल्क मृतक की संपत्ति का हिस्सा नहीं बनते हैं। मुआवज़ा गुणक के आवेदन द्वारा तय नहीं किया जा सकता था क्योंकि यह दुर्घटना के कारण या उसके कारण हुई मृत्यु का मामला नहीं था। ट्रिब्यूनल द्वारा दी गई राशि अकेले मृतक की संपत्ति का हिस्सा होगी। दलीलों के समर्थन में **कनम्मा बनाम उप महाप्रबंधक**, आईएलआर 1990 कर्नाटक 4300, **उत्तम कुमार बनाम माधव और अन्य**, आईएलआर 2002 कर्नाटक 1864, **उम्मेदचंद गोलचा बनाम दयाराम** में कर्नाटक उच्च न्यायालय के दो पूर्ण पीठ के फैसलों पर भरोसा किया गया है। और अन्य, 2002(1) एमपीएलजे 249, **प्रभावती घोष और अन्य बनाम गौतम दास और अन्य**, 2009(4) जीएलआर 64। प्रतिवादी एक विवाहित बेटी होने के नाते मृतक की संपत्ति के किसी भी अन्य नुकसान के लिए किसी भी दावे की हकदार नहीं है। वह मृतक पर निर्भर नहीं थी. अंत में यह प्रस्तुत किया गया है कि उच्च न्यायालय ने मृतक द्वारा व्यक्तिगत खर्चों के लिए मुआवजे की राशि का 1/3 हिस्सा नहीं काटकर गलती की है।

5. प्रतिवादी नंबर 1 की ओर से विद्वान वकील श्री निखिल गोयल का कहना है कि व्यक्तिगत खर्चों के लिए कोई कटौती नहीं की जा सकती क्योंकि मृतक ने वास्तव में अपने जीवनकाल के दौरान खर्च किए थे। **राज कुमार बनाम अजय कुमार और अन्य,** 2011(1) एससीसी 343 पर भरोसा करते हुए, कटौती केवल उस मामले में काल्पनिक रूप से की जानी है जहां मृत्यु हुई है। श्री गोयल का कहना है कि यह केवल व्यक्तिगत चोटों के लिए दावा है मृतक की मृत्यु के साथ समाप्त हो जाएगा। आय की हानि, चिकित्सा व्यय आदि जैसे दावे संपत्ति के नुकसान के हिस्से के रूप में जीवित रहेंगे। वह **सुरपाल सिंह लधुभा गोहिल बनाम रलियातबाहेन मोहनभाई सावलिया और अन्य,** 2009(2) जीएलएच 217, **मुन्नी देवी और अन्य बनाम न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड,** 103(2003) डीएलटी 464, **वेंकटेशन बनाम कस्तूरी**, 2014 पर निर्भर हैं। एसीजे 1621 और मैमुना बेगम और अन्य बनाम ताजू और अन्य, 1989 एमएचएलजे 352। श्री गोयल ने आगे कहा कि उच्च न्यायालय ने परमिंदर सिंह बनाम न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्यपर भरोसा करते हुए 11 के गुणक के साथ भविष्य की संभावनाओं के साथ आय की हानि का फैसला देने में कोई त्रुटि नहीं की है (2019) 7 एससीसी 217 और **काजल बनाम जगदीश चंद और अन्य,** (2020) 4 एससीसी 413। घायल को 100 प्रतिशत शारीरिक विकलांगता का सामना करना पड़ा था। वह अपने जीवन और करियर को आगे बढ़ाने में असमर्थ रहे और उन्हें अपनी नौकरी छोड़कर अपने गृह नगर पंजाब में स्थानांतरित होना पड़ा। कानून स्नातक होने और श्रम कानूनों में डिप्लोमा के साथ पेशेवर रूप से योग्य होने के बावजूद, पूर्ण शारीरिक विकलांगता के कारण वह उसके बाद कोई स्वतंत्र कैरियर बनाने में असमर्थ थे। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा बढ़ाया गया मुआवजा व्यक्तिगत चोटों के कारण नहीं है, बल्कि मृतक की संपत्ति के नुकसान के रूप में है, और इसलिए इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

6. हमने पार्टियों की ओर से प्रस्तुतियों पर विचार किया है। मूल दावेदार अपनी पत्नी और अविवाहित बेटी के साथ यात्रा कर रहा था जब 02.05.1999 को उनके वाहन को तेजी और लापरवाही से चलाई गई लॉरी ने टक्कर मार दी। दावेदार को सरकारी अस्पताल, त्रिवेन्द्रम ले जाया गया, लेकिन चोटों की गंभीरता के कारण उसे पेशेवर प्रबंधन के लिए अगले दिन अपोलो अस्पताल, चेन्नई में स्थानांतरित करना पड़ा, जहां वह 24.11.1999 तक उपचाराधीन रहा। उन्हें रीढ़ की हड्डी में आघात, गर्भाशय ग्रीवा की हड्डी में चोट और श्वसन विफलता के साथ क्वाड्रिप्लेजिया का सामना करना पड़ा। उन्हें पुनर्जीवित किया गया और खोपड़ी की पकड़ के लिए वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया। उनके दाहिने टखने की सर्जरी की जरूरत थी। उन्हें पूर्वकाल डीकंप्रेसन, डिस्क एक्सिशन और हड्डी ग्राफ्टिंग के लिए आगे के उपचार की आवश्यकता थी। उनकी शारीरिक गतिविधि व्हील चेयर संचालन के माध्यम से थी। सरकारी मुख्यालय अस्पताल, कुड्डालोर द्वारा उन्हें जारी किए गए विकलांगता प्रमाण पत्र दिनांक 16.06.2000 में दाहिनी ओर की गर्दन, दाहिने

टखने पर ऑपरेटिव निशान के साथ 100 प्रतिशत स्थायी मोटर सिस्टम विकलांगता, बाईं ओर के माथे के ललाट क्षेत्र और पार्श्विका क्षेत्र पर ठीक हुए निशान के बारे में बताया गया। और वह उन सभी चार अंगों को उठाने में असमर्थ था, जो कुछ स्थानों पर मौजूद संवेदी हानि से ग्रस्त थे, जिन्हें क्वाड्रिप्लेजिक ऑर्थोपेडिक रूप से वर्गीकृत किया गया था।

7. दावेदार पंजाब विश्वविद्यालय से व्यक्तिगत प्रबंधन और श्रम कल्याण में डिप्लोमा के साथ कानून स्नातक था। चोटों के कारण, उन्हें उप महाप्रबंधक के रूप में अपनी नौकरी जारी रखना मुश्किल और असुविधाजनक लगा और उन्होंने 30.04.2006 को अपनी निर्धारित सेवानिवृत्ति से पहले 53 वर्ष की आयु में 30.09.2001 को समय से पहले इस्तीफा दे दिया। कुड्डालोर में बदली हुई परिस्थितियों में इलाज और पारिवारिक खर्चों के बोझ के साथ अपने जीवन और करियर को आगे बढ़ाने में असमर्थ, उन्होंने इस वर्ष कुड्डालोर में उनके द्वारा दायर दावे के मामले को स्थानांतरित करने के लिए 2003 के टी.पी. (सी) संख्या 1043 में इस न्यायालय का रुख किया। 2000 जिसे 25.02.2004 को अनुमति दी गई थी। कार्यवाही पंजाब के गुरदासपुर में स्थानांतरित कर दी गई।

8. ट्रिब्यूनल ने बहुत सरसरी और गूढ़ तरीके से 9% ब्याज के साथ 1,00,000/- रुपये का मुआवजा दिया। इसके बाद दावेदार ने उच्च न्यायालय का रुख किया, जिसने भविष्य की संभावना के साथ उसके वार्षिक वेतन को ध्यान में रखते हुए दर्द और पीड़ा, परिचारक के शुल्क सहित 11 के गुणक को लागू करते हुए मुआवजे को बढ़ाकर 37,81,234/- रुपये कर दिया।

9. यह अधिनियम लाभकारी एवं कल्याणकारी विधान है। अधिनियम की धारा 166(1)(ए) किसी दुर्घटना से उत्पन्न होने वाले मुआवजे के लिए उस व्यक्ति द्वारा वैधानिक दावे का प्रावधान करती है जिसे चोट लगी है। खंड (बी) के तहत, संपत्ति के मालिक को मुआवजा देय है। मृत्यु के मामले में, मृतक के कानूनी प्रतिनिधि दावे को आगे बढ़ा सकते हैं। अधिनियम के तहत संपत्ति का अर्थ पारंपरिक परिभाषा से कहीं अधिक व्यापक होगा। यदि कानूनी उत्तराधिकारी मृत्यु के मामले में दावा कर सकते हैं, तो हमें कोई कारण नहीं दिखता कि कानूनी प्रतिनिधि घायल की संपत्ति के नुकसान के लिए दावा क्यों नहीं कर सकते, यदि वह बाद में दुर्घटना या खंड के तहत चोटों के अलावा अन्य कारणों से मर जाता है। धारा 166 का 1(सी)। ऐसा दावा दावेदार की व्यक्तिगत चोटों से पूरी तरह अलग होगा और जो मृत्यु का कारण नहीं हो सकता है। व्यक्तिगत चोटों के ऐसे दावे निस्संदेह घायल की मृत्यु के साथ समाप्त हो जाएंगे। संपत्ति के नुकसान का क्या मतलब होगा और इसके अंतर्गत कौन सी वस्तुएं शामिल होंगी, ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हमारा ध्यान आकर्षित करना होगा। मोटर दुर्घटना दावा मामलों में मुआवजा देना अपीलकर्ता का वैधानिक दायित्व है। बचाव के पीछे इस दायित्व से बचा नहीं जा सकता कि यह केवल व्यक्तिगत

चोटों के लिए उपलब्ध था और चोटों के कारण मृतक की संपत्ति को हुए नुकसान के बावजूद उसकी मृत्यु पर छूट मिलती थी।

10. **उम्मेद चंद** (सुप्रा) में, अधिनियम के प्रावधानों की व्यापक उदार व्याख्या करते हुए, ताकि कानूनी प्रतिनिधियों को अन्याय न सहना पड़े, यह देखा गया कि दुर्घटना से असंबंधित घायल की मृत्यु पर व्यक्तिगत चोटों का दावा टिक नहीं पाएगा। लेकिन कानूनी प्रतिनिधि संपत्ति के नुकसान के दावे को बढ़ाने के दावे को आगे बढ़ा सकते हैं जिसमें चिकित्सा व्यय, यात्रा, परिचारक, आहार, डॉक्टर की फीस और एक निश्चित अवधि के लिए संपत्ति में उचित मासिक वार्षिक वृद्धि पर व्यय शामिल होगा। यह सामान्य सी बात है कि एक व्यक्ति जो आय प्राप्त करता है वह समग्र रूप से उसके अपने, अपने परिवार के खर्च का हिस्सा बनती है और बचत संपत्ति में चली जाती है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, अप्रत्याशित खर्चों को स्वाभाविक रूप से संपत्ति से पूरा किया जाना चाहिए, जिससे संपत्ति को आर्थिक नुकसान हो सकता है।

11. **मैमुना बेगम** (सुप्रा) में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 306 के तहत पुराने अंग्रेजी आम कानून की कहावत "एक्टियो पर्सनलिस मोरिटुर कम पर्सोना" के तहत बचाव को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया था कि उस पर उत्तराधिकारियों के लिए गैर-अनुकूल होना अन्याय होगा। मैदान।

12. **वेंकटेशन** (सुप्रा) में, घायल दावेदार ने असंतुष्ट होकर अपील की, लेकिन अपील के लंबित रहने के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। चोटों की प्रकृति, उपचार, किए गए व्यय और आय की हानि को ध्यान में रखते हुए संपत्ति के नुकसान के लिए अधिनियम के तहत मुआवजा दिया जाने लगा।

13. **सुरपाल सिंह** (सुप्रा) में, न्यायमूर्ति के.एस. राधाकृष्णन, सी.जे. (जैसा कि वह तब थे) ने कहा कि यह अधिनियम एक सामाजिक कल्याण कानून था जो उन लोगों को पुरस्कार द्वारा मुआवजा प्रदान करता है जो शारीरिक रूप से घायल हो जाते हैं या मारे जाते हैं। मुआवजे का अनुदान शीघ्र होना चाहिए क्योंकि प्रक्रियात्मक तकनीकीताओं को अधिनियम के उचित उद्देश्य को विफल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। सामाजिक कल्याण विधानों की व्याख्या करने में न्यायालयों को निर्माण का एक लाभकारी नियम अपनाना पड़ा जो उन लोगों के अनुकूल कानून की नीति को पूरा करता है जिनके हित में अधिनियम पारित किया गया है। न्यायिक अनुशासन की मांग है कि उपचारात्मक क़ानून के शब्दों को तब तक समझा जाए जब तक वे उचित रूप से स्वीकार किए जाते हैं ताकि क़ानून द्वारा अपेक्षित राहत को सुरक्षित किया जा सके और राहत पाने के इरादे वाले वर्ग को इससे इनकार नहीं किया जाएगा। *"एक्टियो पर्सनलिस मोरिटुर कम*

पर्सोना" की कहावत को इस आधार पर खारिज करते हुए कि यह व्यक्ति को लगी चोट थी और उसकी मृत्यु के साथ दावा समाप्त हो गया, यह देखा गया:

> "11। जहां तक गलती करने वाले का सवाल है, इस सवाल का कोई महत्व नहीं है कि चोट व्यक्तिगत थी या अन्यथा, और वह घायल को हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए बाध्य है। कानूनी उत्तराधिकारियों और कानूनी प्रतिनिधियों को भी अपने परिजनों के साथ हुई दुर्घटना के कारण काफी मानसिक पीड़ा और पीड़ा का सामना करना पड़ा होगा। संभवतः उन्होंने अलग-अलग परिस्थितियों में अपने प्रियजनों की देखभाल की होगी, जिसे मौद्रिक संदर्भ में नहीं मापा जा सकता है। इसलिए हम गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम के मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा व्यक्त किए गए विचार से पूरी तरह सहमत हैं कि घायल की मृत्यु के बाद भी, दावा याचिका समाप्त नहीं होती है और मुकदमा करने का अधिकार उसके उत्तराधिकारियों के पास रहता है। और कानूनी प्रतिनिधि।"

14. इस दृष्टिकोण को बाद में मधुबेन महेशभाई पटेल बनाम जोसेफ फ्रांसिस मेवान और अन्य, 2015 (2) जीएलएच 499 में भाई न्यायमूर्ति एम.आर. शाह जे. (जैसा कि वह तब थे) द्वारा लिखित एक निर्णय में अपनाया गया है, जो इस प्रकार है:

> "12...सूरपाल सिंह लधुभा गोहिल (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय की डिवीजन बेंच के उपरोक्त निर्णय पर विचार करते हुए; अब्दुल करीम मूसा (सुप्रा) की विधवा जेनाबाई के मामले में और अमरीशकुमार विनोदभाई (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले; और राजस्थान उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के उपरोक्त दो निर्णयों के अनुसार, हमारी राय है कि कहावत "एक्टियो पर्सनलिस मोरिटुर कम पर्सोना" जिस पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम (एसआईसी भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम) की धारा 306 आधारित है, लागू नहीं हो सकती है। सभी कार्यों में, यहां तक कि व्यक्तिगत चोटों के मामले में भी जहां क्षति सिर से या संपत्ति के नुकसान के नीचे से होती है। इसलिए, घायल दावेदार की मृत्यु के बाद भी, दावा याचिका समाप्त नहीं होती है और मुकदमा करने का अधिकार उसके उत्तराधिकारियों और कानूनी प्रतिनिधियों के पास रहता है, जहां तक संपत्ति के नुकसान का सवाल है, जिसमें उपचार और अन्य दावे पर किए गए व्यक्तिगत खर्च शामिल होंगे। संपत्ति के नुकसान से संबंधित. इन परिस्थितियों में, डिवीजन बेंच को भेजे गए मुद्दे का तदनुसार उत्तर दिया जाता है। नतीजतन, यह माना जाता है कि विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा दावा याचिका के रिकॉर्ड पर वारिसों को लाने की अनुमति देने और घायल दावेदार के वारिसों को दावा याचिका के साथ आगे बढ़ने की

अनुमति देने में कोई त्रुटि नहीं की गई है, जिनकी बाद में मृत्यु हो गई। हालाँकि, दावा याचिका और यहां तक कि वृद्धि के लिए अपील भी संपत्ति को हुए नुकसान के दावे तक ही सीमित होगी, जैसा कि यहां ऊपर देखा गया है।"

15. इसी तरह का दृष्टिकोण पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने **जोती राम बनाम चमनलाल**, एआईआर 1985 पी एंड एच 2 और मद्रास उच्च न्यायालय ने **थाइलम्मई बनाम ए.वी. मलय्या पिल्लई** में लिया है 1991 एसीजे 185 (मैड)।

16. **कनम्मा** (सुप्रा) और **उत्तम कुमार** (सुप्रा) में लिया गया विचार कि दावा कम हो जाएगा, अधिनियम की एक संकीर्ण व्याख्या पर आधारित है जो हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। गुजरात उच्च न्यायालय का तर्क अधिनियम के उद्देश्य, उद्देश्य और भावना के अनुरूप है और इसके वास्तविक इरादे और उद्देश्य को आगे बढ़ाता है जिसे हम स्वीकार करते हैं।

17. दुर्घटना में मृतक को लगी चोटों के कारण छह महीने तक लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। विकलांगता की सीमा का आकलन 16.06.2000 को 100% के रूप में किया गया था। फिजियोथेरेपी के कारण विकलांगता की सीमा का 08.08.2002 को 75% के रूप में पुनर्मूल्यांकन किया गया। बीच में, घायल ने 30.09.2001 को 53 साल की उम्र में अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया क्योंकि उसे एक परिचारक के बिना चलना मुश्किल और असुविधाजनक लगा जो पूरी तरह से गतिहीनता से अलग था। घायल के पास कार्मिक प्रबंधन में डिप्लोमा के साथ-साथ श्रम कानूनों और औद्योगिक संबंधों में व्यावसायिक योग्यता थी। हो सकता है कि उन्हें श्रम न्यायालय के समक्ष प्रैक्टिस करने में भी कुछ बाधा का सामना करना पड़ा हो, लेकिन उन्हें 100% शारीरिक विकलांगता का सामना नहीं करना पड़ा क्योंकि एक परिचारक की सहायता से व्हील चेयर पर चलने के साथ-साथ सलाह देने और अन्य कार्य करने की उनकी क्षमता के कारण ऐसा नहीं हो सकता था। अभी भी कम कमाई की क्षमता की सुविधा है। यह नहीं माना जा सकता कि घायल के पास अपनी संपत्ति ख़त्म करने के अलावा आजीविका का कोई स्रोत नहीं बचा था। मूल्यांकन करते समय, जिसे अधिनियम के तहत 'न्यायसंगत मुआवजा' के रूप में वर्णित किया गया है, संभावनाओं सहित सभी कारकों को ध्यान में रखना होगा।

18. ट्रिब्यूनल ने तकनीकी आधार पर वेतन, चिकित्सा व्यय और विकलांगता के प्रतिशत के उनके दावे को खारिज कर दिया और एक गुप्त आदेश द्वारा केवल एक लाख रुपये का मामूली मुआवजा दिया। इसलिए, हमारी राय है कि अपील के लंबित रहने के दौरान, दुर्घटना या चोटों से असंबंधित घायल की मृत्यु के बाद व्यक्तिगत चोटों का दावा नहीं बच सकता है, लेकिन संपत्ति के नुकसान के दावे उपलब्ध थे। और मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा अपील की जा सकती है।

19. **परमिंदर सिंह** (सुप्रा) में आय की पूर्ण हानि, विकलांगता का प्रतिशत, भविष्य की संभावनाओं के आधार पर संबंधित गुणक को लागू करते हुए मुआवजा दिया गया था। फिर, **काजल** (सुप्रा) में घायल को 100 प्रतिशत विकलांग के रूप में मूल्यांकन किया गया था, जिसमें सभी को ध्यान में रखते हुए प्रासंगिक गुणक के साथ अनुमानित भविष्य की संभावनाओं पर मुआवजा दिया गया था। वर्तमान मामले के तथ्यों में घायलों की आय की हानि का आकलन 75% किया जाना है। **राज कुमार (**सुप्रा) के विचार में व्यक्तिगत खर्चों के लिए कोई कटौती नहीं होगी।

20. हमें एक से अधिक उच्च न्यायालयों द्वारा अपनाए गए सुसंगत न्यायिक दृष्टिकोण से विचलित होने का कोई कारण नहीं दिखता है कि संपत्ति के नुकसान में दवाओं, उपचार, आहार, परिचारक, डॉक्टर की फीस आदि पर खर्च शामिल होगा, जिसमें आय और भविष्य की संभावनाएं भी शामिल होंगी। संपत्ति में उचित वृद्धि, लेकिन अचानक व्यय के लिए जिसे पूरा करना पड़ा और घायल की संपत्ति समाप्त हो गई, बाद में मृत हो गया।

21. हालाँकि, सिर दर्द और व्यक्तिगत चोटें होने के कारण होने वाली पीड़ा के तहत मुआवजे को अस्थिर माना जाता है और इसे अस्वीकार कर दिया जाता है। छह महीने तक अस्पताल में भर्ती रहने का स्वीकृत तथ्य होने के बावजूद उच्च न्यायालय ने चिकित्सा व्यय के लिए कुछ भी नहीं दिया है। इसलिए हम चिकित्सा व्यय के लिए रु. 1,00,000/- की राशि प्रदान करते हैं। इसलिए, पुनर्मूल्यांकन किया गया कुल मुआवजा रु. 28,42,175/- होगा, जिसकी गणना यहां दी गई है:

Sr. No.	Heads	Calculations
1.	Annual Salary	Rs. 25084*12= Rs. 3,01,008/- After deducting 25% 75% of the annual salary will be =Rs. 2,25,756/-
2.	15% Future Prospects	15% of 2,25,756= Rs. 33,863.4 Rs. 2,25,756+33,863= Rs. 2,59,619/-
3.	Applying multiplier of 11	Rs. 2,59,619*11= Rs. 28,55,809/-
4.	10% of the income tax deducted for 15 years	Rs. 2,25,756-1,50,000= 75,756, 10% of 75,756= 7575.60 For 15 years = 7575.6*15= Rs. 1,13,634/-
5.	Medical Expenses	Rs. 1,00,000/-
6.	Attendant Charges	Rs. 1,00,000/-
7.	Grand Total	Rs. 29,42,175/-
8.	Compensation already awarded by the Tribunaland paid	Rs.1,00,000/-
9.	Net Total (7)-(8)	**Rs.28,42,175/-**

22. इसलिए अपीलकर्ता को प्रतिवादी नंबर 1 को चार सप्ताह की अवधि के भीतर 28,42,175/- रुपये का भुगतान 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ करने का निर्देश दिया जाता है। दावा याचिका दायर करने की तारीख से लेकर उसके लागू होने तक।

23. ऊपर बताई गई सीमा तक अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

निधि जैन अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई।

आशीष तिवारी की देखरेख में शिखा पांडे द्वारा अनुवादित।